स्थापित : 1962

प्राचार्य(का0) 4303100
फैक्स: 4300443
Email : inpgcollegemeerut@yahoo.com
Website :www.inpgcollege.org.in

इस्माईल नेशनल महिला (पी०जी०) कॉलिज, मेरठ

~युवा महिला सशक्तिकरण~

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त

बी++ ग्रेड कालिज, सी०जी०पी०ए० 2.96
सीपीई स्टेटस : उत्कृष्ट महाविद्यालय 2010

पत्रांक : 64/07/2025-26

दिनांक 03/10/2025

आवश्यक सूचना

महाविद्यालय की समस्त छात्राओं को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्बद्वता/3005 दिनांक 27/09/2025 द्वारा समस्त छात्राओं की उपस्थिति नियमानुसार 75 प्रतिशत अनिवार्य की गई है यदि छात्रा की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने एवं परीक्षा में बैठने की अनुमति नही दी जायेगी।

अतः छात्राएँ नियमित रूप से महाविद्यालय में कक्षा ले जिससे आपकी उपस्थिति कम न हो।

(प्रो0 अनीता राठी)
प्राचार्य

Principal
Ismail National Mahila (P.G.) College
Meerut

7

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

संशोधित पत्र

पत्रांक : सम्बद्धता/3005
दिनांक : 27-9-2025

सेवा में,

01. सचिव/प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय/संस्थान,
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

02. विभागाध्यक्ष, समन्वयक, निदेशक,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर,
मेरठ।

विषयः—विश्वविद्यालय/संस्थान व उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत विधार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य किये जाने तथा सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक राजपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के संलग्न पत्र संख्याः ई–5914/32–जी0सी0/2025/103–3/154/2025 दिनांकः 26 अगस्त, 2025 का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा मा0 कुलाधिपति महोदया द्वारा विश्वविद्यालयों एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की उपस्थिति नियमानुसार 75 प्रतिशत अनिवार्य किये जाने तथा उनमें सी.सी.टी.वी कैमरा लगाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

मा0 कुलाधिपति महोदया के निर्देशों के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि छात्रगणों को इस आशय का नोटिस निर्गत करने का कष्ट करें कि यदि किसी छात्र/छात्रा की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी तो उसे परीक्षा फार्म भरने की एवं परीक्षा में बैठने की अनुमति नही दी जायेगी। इस नोटिस को विश्वविद्यालय/संस्थान एवं सम्वद्ध महाविद्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के साथ ही इसे वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाये तथा इससे छात्रगणों को कक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से भी अवगत कराया जाये। यदि उपस्थिति बायोमैट्रिक प्रणाली से सुनिश्चित हो तो उपयुक्त होगा।

अतः राजपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेशों के अनुलपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

2-mcl
115
3/10/25

भवदीय,

(सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
03. वैयक्तिक सहायक, प्रतिकुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
04. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
05. प्रभारी वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

(सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)

CIR_19(60)